33

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।

क्रमांक:- प.9(6)राज-6/2000/4 जयपुर, दिनांक:- 31-7-2001

-: परिपत्र :-

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिसूचित आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक, चरागाह, गैरमुमकिन भूमि पर दिनांक 1.7.1989 से पूर्व आवास गृह या बाडे बनाकर किये गये सभी अतिक्रमणों का नियमन उन्हीं, शर्तों और निर्बन्धनों पर किया जावे, जो 18.02.1955 से 01.07.1975 तक किये गये अतिक्रमणों के नियमन पर लागू होते हैं और जो इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.प.6(17)राज-ख/71 दिनांक 3.7.1971 तथा परिपत्र क्रमांक प.6(10)राज-4/77 दिनांक 23.4.77 में उल्लेखित है, जिनकी प्रतिलिपियां संलग्न है।

यह व्यवस्था रिकार्ड में दर्ज वन विभाग के नाम दर्ज भूमि के लिए लागू नहीं होगी ।

शासन उप सचिव